सुमित कुमार साहा

बनाम

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता '' सिविल अपील संख्या। 1299/2019 दिनांक 16.02.2018 को राष्ट्रीय उपभोगक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से प्रथम अपील सं0-182/2014 सोम्या रुप सान्याल, सुश्री हिना रोहरा, निर्णय गुप्तक, सुभ्रोरो सान्याल, अपीलकर्ती कि ओर से विद्वान अधिवक्ता। जोय वसु, वरि0 अधी0 नवनीत कुमार, विकाश वंदना, कनक बोस पारिजात किशोर,न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

उमेश ललित, न्यायमूर्ति अपील स्वीकृत

2. यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ('संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग') द्वारा 2014 की प्रथम अपील संख्या 182 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.02.2018 से उत्पन्न हुई है।

3. 27.03.2007 को अपीलकर्ता ने 49,75,000/- रुपये की राशि के लिए एक वोल्वो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर खरीदा, जिसमें वैट राशि 1,99,000/- रुपये थी, इस प्रकार कुल खरीद मूल्य रु. 51,74,000/- है। खरीद के तुरंत बाद हाईड्रोलिक एक्सकैवेटर का बीमा प्रत्यर्थी के साथ "ठेकेदार, संयंत्र और मशीनरी बीमा पॉलिसी" क्रमांक 150719225001168 कराया गया । उसके बाद बीमा पॉलिसी 22.07.2009 से 21.07.2010 की अवधि के लिए रु 46,56,600/- बीमाकृत राशि पर 33,700/- रुपये के प्रीमियम के भुगतान पर नवीनीकृत हो गई । 'कवरेज' से संबंधित कॉलम में उक्त उत्खननकर्ता के 'निर्माण का वर्ष' '2007' बताया गया है। कैप्शन - प्रावधान के तहत, नीति में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं: -

“1. बीमा राशि - इस बीमा की यह आवश्यकता है कि बीमा राशि उसी प्रकार और समान क्षमता की नई संपत्ति द्वारा बीमित संपत्ति के प्रतिस्थापन की लागत के बराबर होगी, जिसका अर्थ माल ढुलाई, बकाया और सीमा शुल्क सहित इसकी प्रतिस्थापन यदि कोई हो और निर्माण लागत होगी।

2. क्षतिपूर्ति का आधार -

(ए) ऐसे मामलों में जहां किसी बीमित वस्तु की क्षति की मरम्मत की जा सकती है, कंपनी क्षतिग्रस्त मशीन को दुर्घटना/नुकसान से ठीक पहले उसकी स्थिति में बहाल करने के लिए आवश्यक खर्च का भुगतान करेगी, साथ ही प्रभाव के उद्देश्य से किए गए निराकरण और पुन: निर्माण की लागत का भुगतान करेगी। मरम्मत के साथ-साथ मरम्मत की दुकान तक आने-जाने का सामान्य भाड़ा, सीमा शुल्क और बकाया, यदि कोई हो, उस सीमा तक, जिस सीमा तक ऐसे खर्चों को बीमा राशि में शामिल किया गया है। यदि मरम्मत बीमाधारक के स्वामित्व वाली कार्यशाला में की जाती है, तो कंपनी मरम्मत के उद्देश्य से खर्च की गई सामग्री और मजदूरी की लागत और ओवरहेड शुल्क को कवर करने के लिए उचित प्रतिशत का भुगतान करेगी।

सीमित अवधि तक चलने वाले हिस्सों को छोड़कर, बदले गए हिस्सों के संबंध में मूल्यह्रास के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन किसी भी बचाव के मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। यदि यहां ऊपर वर्णित मरम्मत की लागत के वास्तविक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है ।क्षति की घटना से ठीक पहले बीमा कराई गई मशीनरी में दिए गए आधार पर निपटान किया जाएगा

(बी) ऐसे मामलों में जहां कोई बीमित वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, कंपनी नुकसान होने से तुरंत पहले वस्तु के वास्तविक मूल्य का भुगतान करेगी, जिसमें सामान्य माल ढुलाई, निर्माण और सीमा शुल्क की लागत, यदि कोई हो, शामिल है, बशर्ते कि ऐसे खर्चों को शामिल किया गया हो। बीमा राशि, ऐसे वास्तविक मूल्य की गणना वस्तु के प्रतिस्थापन मूल्य से उचित मूल्यह्रास घटाकर की जाएगी। कंपनी नष्ट हुई मशीनरी को नष्ट करने के लिए कोई सामान्य शुल्क भी अदा करेगी लेकिन बचाव को ध्यान में रखा जाएगा।

ओवरटाइम, रात के काम, सार्वजनिक अवकाश पर काम, एक्सप्रेस माल ढुलाई के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क को इस बीमा द्वारा कवर किया जाता है, यदि विशेष रूप से लिखित रूप में सहमति हो। मरम्मत के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्माताओं के ड्राइंग, पैटर्न और कोर बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, कंपनी ऐसे किसी भी ड्राइंग, पैटर्न और कोर बॉक्स को बनाने की लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

इस नीति के तहत किसी भी परिवर्तन, सुधार या ओवरहाल की लागत वसूली योग्य नहीं होगी।

किसी भी अनंतिम मरम्मत की लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी यदि ऐसी मरम्मत अंतिम मरम्मत का हिस्सा बनती है, और कुल मरम्मत खर्च में वृद्धि नहीं करती है।

यदि बीमा राशि उपरोक्त प्रावधान-I के अनुसार बीमा की जाने वाली आवश्यक राशि से कम है, तो कंपनी केवल उसी अनुपात में भुगतान करेगी, जितनी बीमा राशि बीमा करने के लिए आवश्यक राशि से मेल खाती है। प्रत्येक वस्तु, यदि एक से अधिक हो, अलग से इस शर्त के अधीन होगी।

कंपनी आवश्यक बिलों और दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान करेगी, कि मरम्मत के लिए है।

जैसा भी मामला हो, प्रभावी हो गया है या प्रतिस्थापन हो गया है। हालाँकि, कंपनी कुल नुकसान के मामले में बिलों और दस्तावेजों के लिए जोर नहीं दे सकती है, जहां बीमाधारक अपने नियंत्रण से परे कारणों से क्षतिग्रस्त उपकरण को बदलने में असमर्थ है। ऐसे मामले में दावों का निपटान 'क्षतिपूर्ति आधार' पर किया जा सकता है।

4. उपरोक्त कि हाइड्रोलिक उत्खनन किराए पर लिया गया था और इसका उपयोग एक अलग स्थान पर किया जाना था। अपीलकर्ता ने स्थान परिवर्तन की विधिवत सूचना दी। 30.06.2010 को हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था जब यह बदले हुए स्थान पर था। स्थानीय पुलिस में 01.07.2010 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी और प्रतिवादी को तुरंत नुकसान के बारे में सूचित किया गया था और नुकसान का सर्वेक्षण करने और दावे का निपटान करने का अनुरोध किया गया था।

5. 07.07.2010 को प्रतिवादी द्वारा नुकसान और क्षति का सर्वेक्षण और आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। हालाँकि सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता के दावे का निपटान नहीं हो रहा था और ऐसे में अपीलकर्ता द्वारा 18.08.2010 और 10.02.2011 को अनुस्मारक भेजे गए थे। इसके बाद, 13.04.2011 को

अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि सर्वेक्षक द्वारा नुकसान का आकलन 25,24,273/- रुपये किया गया । सर्वेक्षक कनिंघम लिंडसे की रिपोर्ट का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित प्रभाव वाला था:-

“सकल हानि, दोनों प्रकार के दावा निपटान की संभावनाएँ। आंशिक हानि और रचनात्मक कुल हानि के आधार का पता लगाया गया। अंत में, यह स्थापित किया गया कि पीएल यानी संपूर्ण की मरम्मत। उत्खननकर्ता का खर्च उसके बीमाकृत मूल्य से कहीं अधिक होगा। इसलिए, हमने इसे रचनात्मक कुल हानि का मामला माना है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सकल हानि लगभग रु. 5,100,000.00 आती है, जो कि उसी प्रकार और उत्खनन की क्षमता की वर्तमान नई प्रतिस्थापन लागत है।
नई मशीन के लिए संलग्न कोटेशन देखें।

हानि का बाजार मुल्य खरीद के बाद से बाजार मूल्य, यानी 27 मार्च हानि 2007 और हानि की तारीख यानी 30 जून 2010, विषय उत्खनन 3 साल और 3 महीने के लिए परिचालन में था। इस प्रकार, ऐसे उत्खननकर्ता के जीवन को 10 वर्ष मानते हुए, 3 वर्ष और 3 महीने के लिए मूल्यह्रास 32.5% बनता है। इसलिए, उत्खननकर्ता का मूल्यह्रास मूल्य या बाजार मूल्य 3,442,500.00 रुपये है।

बचाव प्राप्ति बचाव के मामले पर सबसे पहले बीमाधारक के साथ चर्चा की गई, जिसने इसे बनाए रखने से इनकार कर दिया। तुरंत, हमने प्रभावित मशीन के सभी विवरण बीमाकर्ता को उनके संबंधित विभाग के माध्यम से बचाव निपटान पर उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया। उसी के परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता ने अपने मेल दिनांक 21 फरवरी 2011 के माध्यम से पुष्टि की कि उन्होंने विषय उत्खननकर्ता से 650,000 रुपये की वसूली की है, जिसे हम उत्खननकर्ता और सिविल अपील को हुए नुकसान की सीमा को देखते हुए बेहद उचित और उचित मानते हैं।बीमा के तहत अनुमानित हानि रु. 2,792,500.00 (बचाव के कुल के रूप में) उसी प्रकार और क्षमता के उत्खनन यंत्र की वर्तमान नई प्रतिस्थापन लागत रु. 5,100,000.00 है, जबकि इसके लिए ली गई बीमा राशि रु. 4,656,000.00 है। उन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि संपत्ति का बीमा 8.71% कम है।

समायोजित हानि 2,549,273.25 रुपये (बीमा के तहत कुल के रूप में)

घटाये जाने योग्य 25 लाख रुपये से अधिक के व्यक्तिगत मूल्य के लिए 50 लाख रुपये तक कटौती योग्य एओजी खतरों के अलावा अन्य खतरों से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए 25,000.00 रुपये (फ़्लैट अतिरिक्त)।

शुद्ध समायोजित हानी रु. 2,524,273.00 (पॉलिसी हानि की अतिरिक्त राशि के रूप में)

निर्देश हम सहमत बैंक क्लॉज के अधीन दावे के पूर्ण निर्वहन में पॉलिसी नंबर 1507192215001168 के तहत 2,524,273 रुपये की शुद्ध समायोजित राशि का भुगतान करने की अनुशंसा करते हैं।

6. अपीलकर्ता ने व्यथित होकर, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल (संक्षेप में 'राज्य आयोग') के समक्ष मामला संख्या CC/18/11 दायर किया। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एक्सकेवेटर को कुल नुकसान हुआ था और वह 46,56,600/- रुपये की बीमा राशि का हकदार था, जैसा कि शिकायत में दावा किया गया है, 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मुआवजे के साथ। मामले के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने अपने द्वारा नियुक्त एक सर्वेक्षक की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा। कहा गया कि सर्वेक्षणकर्ता ने नुकसान का आकलन दो आधारों पर किया था, अर्थात् "मरम्मत के आधार पर मूल्यांकन किया गया नुकसान" 94,64,357.70 रुपये और "कुल नुकसान के आधार पर" 41,90,940.00 रुपये। सुब्बैया जयकार्तिगेसन नामक उक्त सर्वेक्षक की रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:-

"मरम्मत के आधार पर नुकसान का आकलन 9,464,357.70 रुपये (केवल चौरानवे लाख चौसठ हजार तीन सौ सत्तावन सत्तर रुपये) किया गया।

कुल हानि के आधार पर आकलन

बीमा कंपनी को घोषित और उनके द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार खुदाई यंत्र की वर्तमान मूल्यह्रास लागत 4,656,600.00 बीमा की तारीख से दुर्घटना की तारीख तक उपयोग के लिए मूल्यह्रास 10% कम 465,660.00 **कुल हानि के आधार पर मूल्यांकन** रु.4,190,940.00 (केवल इकतालीस लाख नब्बे हजार नौ सौ चालीस रुपये **)**

बीमा के तहत

मेरी राय में इस मामले में बीमा लागू नहीं होगा क्योंकि पूरी मशीन पूरी तरह जल गई है। मशीन का बीमा 46,56,600.00 रुपये में किया गया है, जो खरीद की अवधि से बीमा पॉलिसी के अंतिम नवीनीकरण तक मूल्यह्रास के आवेदन के बाद है, इसलिए मैंने इस मामले में बीमा के तहत कोई आवेदन नहीं किया है।

7. राज्य आयोग ने शिकायत की अनुमति दी। इसके दिनांक 04.12.2013 के आदेश के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

"तीसरा, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा मूल्यांकन किए गए नुकसान में मूल्यह्रास मूल्य @ 51,74,000/- रुपये के मूल खरीद मूल्य का 32% ही ध्यान में रखा गया है, लेकिन 7 जुलाई 2009 को प्रीमियम इसके बाद बनाया गया था। मूल्यह्रास मूल्य तय करना. यह बिल्कुल उचित है कि मूल्यह्रास मूल्य, जैसा कि ओपी के प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में बीमाधारक द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा बताया गया है, कि मूल्यह्रास पॉलिसी के नवीनीकरण के समय ओपी द्वारा लागू किया गया है और मूल्यह्रास हो सकता है बीमा के नवीनीकरण की तिथि से दुर्घटना की तिथि तक की अवधि तक केवल एक बार आवेदन किया जाता है। पुनः, ओपी के प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में, यह माना गया है कि बीमा के तहत 8.71% की दर गलत है क्योंकि बीमा कंपनी ने मालिक से प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त किए बिना पॉलिसी को नवीनीकृत करते समय अपना स्वयं का मूल्य डाल दिया है। खुदाई करने वाली मशीन का. हम बीमाधारक द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक के विचार से भी सहमत हैं, जैसा कि

ओपी के प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में कहा गया है कि बचाव कार्य बीमा कंपनी की संपत्ति है और इसे क्षतिग्रस्त मशीन के मालिक पर थोपा नहीं जा सकता... ...

आदेश दिया गया

कि शिकायतकर्ता की शिकायत को स्वीकृत किया गया और विरोधी पक्षकार सं0 1 और 2 को दावा दायर करने की तारीख से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 41,90,940/- रुपये (केवल इकतालीस लाख नब्बे हजार नौ सौ चालीस) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। विरोधी पक्षकार सं0 1 और 2 को उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख) की राशि के अलावा लागत के रूप में 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार) की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। संपूर्ण राशि का भुगतान ओपी नंबर 1 और 2 द्वारा इस आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट रूप से, पूर्ण वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

8. प्रतिवादी ने व्यथित होकर 2014 की पहली अपील संख्या 182 दायर की, जिसे राष्ट्रीय आयोग ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 16.02.2018 द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी थी। राष्ट्रीय आयोग ने निम्नानुसार धारित किया।

“बीमा कंपनी क्षतिग्रस्त मशीन को उसी स्थिति में बदलने के आधार पर नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है जिस स्थिति में वह दुर्घटना के दिन थी। वर्तमान मामले में, हालांकि पॉलिसी में 46,56,000/- रुपये की आईडीवी का उल्लेख किया गया था और पार्टियों के बीच सहमति हुई थी, तथापि, यदि नई मशीन 51,00,000/- रुपये में उपलब्ध है तो उस आधार पर वही मशीन नई मशीन की मौजूदा कीमत से 3.25 साल के मूल्यह्रास को घटाकर अनुमानित कीमत पर 3.25 वर्ष की आयु उपलब्ध हो सकती है। जाहिर है, बीमा कंपनी प्रतिस्थापन के लिए यही कीमत अपनाएगी क्योंकि यह आईडीवी से कम है। इस आधार पर, सर्वेक्षक ने प्रतिस्थापन के लिए फिट होने वाली नई मशीन की मूल्यह्रास कीमत 34,42,500/- रुपये आंकी है।मशीन की खरीद के बाद से नई मशीन की वर्तमान कीमत पर दुर्घटना की तारीख तक 10% प्रति वर्ष का मूल्यह्रास लागू करने के बाद राष्ट्रीय आयोग ने आगे पाया कि 6,50,000/- रुपये का बचाव मूल्य, जो प्रतिवादी द्वारा वसूला गया था, 34,42,500/- रुपये की उपरोक्त राशि से नहीं काटा जा सकता था। इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग ने प्रतिवादी को अपीलकर्ता के बीमा दावे के निपटान के लिए 34,17,500/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह पाया गया कि चूंकि प्रतिवादी इस मामले को 25,42,273/- रुपये में निपटाने को तैयार था, इसलिए प्रतिवादी 8,93,227/- रुपये की अंतर राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. राष्ट्रीय आयोग का निर्णय वर्तमान में अपील के अधीन है। हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौम्य रूप सान्याल और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जॉय बसु को सुना। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह कुल नुकसान का मामला था जैसा कि दोनों सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया था और पार्टियों द्वारा सहमति के अनुसार "बीमा राशि" के अनुसार, अपीलकर्ता 46,56,000/- रुपये का हकदार था। यह प्रस्तुत किया गया कि बीमा कंपनी अच्छी तरह से जानती थी कि खुदाई करने वाला उपकरण 2007 का था और उचित मूल्यह्रास काटने के बाद बीमा के कवर के प्रयोजनों

के लिए जो मूल्य आया वह 46,56,600/- रुपये था। उक्त प्रस्तुतीकरण का प्रतिवाद करते हुए, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि बीमा राशि के रूप में ऐसी राशि निर्धारित करने के बावजूद, बीमा कंपनी को वर्तमान मामले में यह तर्क देने से वंचित नहीं किया जाएगा कि उचित मूल्यह्रास भुगतने के बाद वास्तविक मूल्य वही होना चाहिए जो उसके सर्वेक्षणकर्ता द्वारा इंगित किया गया । सिक्का पेपर्स लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 1 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था ।

10. यह सामान्य बात है कि आग के परिणामस्वरूप, उत्खननकर्ता को "कुल नुकसान" हुआ था और बीमाधारक उत्खननकर्ता की प्रतिस्थापन लागत का हकदार होगा। हालाँकि, मुद्दा यह है कि वह राशि या मूल्य क्या है जिसका बीमाधारक हकदार है।

11. विचाराधीन पॉलिसी इंगित करती है कि एक्सकेवेटर का "निर्माण का वर्ष" "2007" था, जबकि पॉलिसी 22.07.2009 से 21.07.2010 की अवधि के लिए थी। पार्टियों को पता था कि एक्सकेवेटर वर्ष 2007 में 51.74 लाख रुपये में खरीदा गया था. यदि अनुबंध में बीमा राशि 46,56,600/- रुपये बताई गई है, तो पार्टियों को उस राशि के महत्व और इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि यह कवरेज प्राप्त होने की तारीख के अनुसार उत्खननकर्ता के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। . **इस संबंध में धर्मेंद्र गोयल बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2]** में आये निष्कर्ष और की गयी टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं। उस मामले में एक वाहन वर्ष 2000 में खरीदा गया था और कवरेज की प्रासंगिक अवधि 2002-2003 थी। वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया. सर्वेक्षक ने इसे कुल नुकसान पाया जिसका आकलन 1,80,000/- रुपये किया गया। उपभोक्ता फोरम में स्थापित एक कार्रवाई में, राष्ट्रीय आयोग ने ब्याज सहित 1,80,000/- रुपये के उक्त स्तर पर मुआवजा दिया था। इस तरह के मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए, बीमाधारक ने एक अपील दायर की थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया था कि वह बीमा राशि, अर्थात् रु. 3,54,000/- का हकदार था। निर्णय के पैराग्राफ 5 और 7 इस सिद्धांत को सामने लाते हैं कि बीमा कंपनी ने वाहन का मूल्य 3,54,000/- रुपये स्वीकार किया है, वह उस मूल्य से बंधी हुई है। कहा गया अनुच्छेद 5 और 7 इस प्रकार थे:

> “5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड को बहुत ध्यान से देखा है। ऊपर बताए गए तथ्य निर्विवाद हैं। माना जाता है कि 13-2-2002 को 8498 रुपये के प्रीमियम पर 3,54,000 रुपये के लिए वाहन का बीमा करने वाली बीमा पॉलिसी की वैधता के दौरान 10-9-2002 को दुर्घटना हुई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि वाहन कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा कुल नुकसान घोषित किया गया था, हालांकि कुल नुकसान के आधार पर वाहन का मूल्य 1,80,000 रुपये आंका गया था। इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि चूंकि कंपनी ने स्वयं 13-2-2002 को वाहन का मूल्य 3,54,000 रुपये स्वीकार किया था, इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकती कि वाहन का मूल्य 10 पर कुल हानि के आधार पर होगा। -9-2002 यानी दुर्घटना की तारीख पर केवल 1,80,000 रुपये थे ।... ... ...
>
> 7. यह ध्यान में रखना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 वाहन के मालिक पर अधिनियम के अध्याय XI के तहत प्रदान की गई बीमा पॉलिसी लेने का दायित्व डालती है और ऐसी पॉलिसी लेने के बिना कोई भी वाहन चलाता है । इसकी धारा 196 के तहत सजा का प्रावधान है । इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस कड़े प्रावधान

के आलोक में और एक प्रमुख स्थिति में होने के कारण बीमा कंपनियां अक्सर अनुचित तरीके से कार्य करती हैं और किसी विशेष बीमाकृत वस्तु के मूल्य को स्वीकार करने के बाद किसी न किसी बहाने से उस आंकड़े को अस्वीकार कर देती हैं। जब उनसे मुआवज़ा देने के लिए कहा जाता है. यह "इसे ले लो या छोड़ दो" रवैया स्पष्ट रूप से न केवल कानून में बुरा होने के कारण अनुचित है, बल्कि नैतिक रूप से भी अक्षम्य है। हम इस दलील को स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता को यह साबित करने के लिए सबूत पेश करना था कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट इस तथ्य के आलोक में निचली तरफ थी कि कंपनी द्वारा पहले ही वाहन पर कीमत लगा दी गई थी। पॉलिसी के नवीनीकरण का समय. हम तदनुसार मानते हैं कि इन परिस्थितियों में, कंपनी 13-2-2002 को पॉलिसी को नवीनीकृत करते समय वाहन पर लगाए गए मूल्य से बंधी हुई थी।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसु ने हालांकि सिक्का पेपर्स (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में वर्ष 1997 में 45 लाख रुपये में खरीदे गए डीजल जेनरेटिंग सेट का बीमा 08.04.1999 से 07.04.2000 की अवधि के लिए 35 लाख रुपये में किया गया था। कहा कि डीजल जेनरेटिंग सेट खराब हो गया। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए जो भुगतान किया था, यानी 25 लाख रुपये की मांग की, लेकिन बीमाकर्ता, सर्वेयर की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, सहमत नहीं हुआ। सर्वेक्षक के अनुसार शुद्ध घाटा 14,45,000/- रूपये हुआ। लेकिन सर्वेयर ने पाया कि जेनरेटिंग सेट का बीमा कम था और इस तरह नेट सिविल अपील नंबर 1299./2019 @ एसएलपी (सी) नंबर 27695/ 2018 सुमित कुमार साहा बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आंकड़ा सामने आया । जिस नुकसान का आकलन किया गया था, उस पर 25.71% की कटौती होनी चाहिए। इसलिए, शुद्ध मूल्यांकन हानि रु. 10,47,491/- के स्तर पर थी। इस न्यायालय ने दो प्रश्न उठाए:

"(1) क्या बीमाकर्ता द्वारा सर्वेक्षक द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15-5-2000 की रिपोर्ट को स्वीकार करना उचित था, जिसने 25 रुपये में से लगभग 10,55,000/- रुपये की कटौती के बाद 14,45,000/- रुपये के नुकसान का आकलन किया था, 00,000/- यानी शिकायतकर्ता द्वारा डीजल जेनरेटिंग सेट की मरम्मत के लिए भुगतान की गई वास्तविक राशि?

(2) क्या बीमाकर्ता द्वारा दिनांक 15-5-2000 की अपनी रिपोर्ट में सर्वेक्षक द्वारा आंकलित 14,45,000/- रुपये के नुकसान में से बीमा के तहत 3,71,509.50 रुपये (25.71%) की कटौती करना उचित था? ”

पहले प्रश्न के संबंध में, इस न्यायालय ने पाया कि बीमाकर्ता सामान्य उपयोग या जोखिम से मशीनरी के खराब होने के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा और बीमाकृत संपत्ति को उसी प्रकार और समान क्षमता की नई संपत्ति से बदलने की लागत अपवाद के अधीन होगी। मरम्मत या प्रतिस्थापन का विस्तार उन मशीनरी या भागों तक नहीं होगा जो सामान्य टूट-फूट से गुजर चुके हैं। दूसरे प्रश्न के संबंध में, तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमा के तहत एक तत्व था और सर्वेक्षक द्वारा 25.71% की कटौती करना उचित था।

13. हम नहीं पाते हैं कि सिक्का पेपर्स (सुप्रा) में निर्णय वर्तमान मामले में कैसे प्रासंगिक हो सकता है।"बीमा के तहत" सिविल अपील संख्या 1299./2019 @ SLP(C)No.27695/ 2018 के मामले सुमित कुमार साहा बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड । पूरी तरह से अलग प्रकार का मामला हैं। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी उचित प्रीमियम के लिए इंकार की । यदि बीमा राशि, किसी भी तरह से, बीमा की विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य से कम है, और

यदि आंशिक प्रतिस्थापन या आंशिक हानि के मामले हैं, तो यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि बीमा कंपनी अनुपात का प्रतिनिधित्व करने वाली आनुपातिक कटौती की हकदार है। अवमूल्यन का. यह मामले का वह पहलू है जिसने सिक्का पेपर्स (सुप्रा) में न्यायालय के साथ 25.71% कटौती के संबंध में सर्वेक्षक की रिपोर्ट की पुष्टि की थी। वर्तमान मामले में भी कैप्शन "प्रावधान" के तहत, पैरा 2 में शर्त इस आशय की है कि यदि बीमा राशि "बीमा किए जाने के लिए आवश्यक राशि से कम है .... कंपनी केवल उसी अनुपात में भुगतान करेगी जितना बीमा राशि बीमा कराने के लिए आवश्यक राशि से मेल खाती है।

14. यह बीमा कंपनी का मामला नहीं है कि वर्तमान मामले में कोई "बीमा के तहत" था। दूसरी ओर, तर्क यह है कि बीमा राशि के मुकाबले जो कि 46,56,600/- रुपये थी, मूल्यह्रास मूल्य 34,42,500/- रुपये था। तो बीमा कंपनी के अनुसार, यदि यह बिल्कुल भी अधिक बीमा का मामला था। यदि हम प्रीमियम की प्राप्ति के आधार पर चलें तो बीमा कंपनी को उसके अनुसार वास्तविक मूल्य से अधिक प्राप्त हुआ होगा।

15. तथ्यों के इस सेट में ही वर्तमान मामले में प्रश्न उठता है। यदि दोनों पक्ष, अपनी आँखें खुली रखते हुए, बीमा की विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य के एक विशेष आंकड़े पर पहुँच गए हैं, तो क्या यह किसी भी पक्ष के लिए उक्त राशि पर विवाद करने और यह तर्क देने के लिए खुला है कि वास्तविक मूल्य जो था उससे कुछ अलग था? पार्टियों द्वारा बीमा राशि घोषित की गई।कोई ऐसे मामलों को समझ सकता है जहां भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाता है जो मामले की जड़ तक जा सकता है और इस तरह समझौते की पवित्रता ही प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि दोनों पक्ष सहमत थे और एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जो अन्यथा किसी भी गलत बयानी, धोखाधड़ी या जबरदस्ती से खराब नहीं हुई थी, तो पार्टियों को ऐसे आंकड़े की शर्त से बाध्य होना चाहिए।धर्मेंद्र गोयल (सुप्रा) का यही विचार और अंतर्निहित सिद्धांत था

16. वर्तमान मामले में प्रासंगिक शर्त, अर्थात् प्रावधान-क्षतिपूर्ति के आधार का खंड (बी) "उचित मूल्यह्रास" में कटौती करके वास्तविक मूल्य की गणना की बात करता है। बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने एक नए एक्सकेवेटर की लागत के रूप में 51 लाख रुपये के आंकड़े से शुरुआत करके और फिर एक्सकेवेटर के जीवन को 10 वर्ष मानते हुए मूल्यह्रास के माध्यम से 32.5% की कटौती करके मूल्यह्रास का आंकड़ा तैयार किया है।उनके मूल्यांकन में, इसलिए, जिस दिन अनुबंध किया गया था उस दिन 46,56,600/- रुपये की शर्त का कोई महत्व नहीं था। क्या वह सही और न्यायसंगत था और वह उत्खननकर्ता का जीवन 10 वर्ष कैसे मान सकता था? यदि दोनों पक्षों के बीच यही समझ होती तो बीमा राशि का आंकड़ा अलग हो सकता था। यदि सर्वेक्षक उस दिन से मूल्यह्रास की गणना कर रहा था जब पॉलिसी दर्ज की गई थी और उस तारीख तक जब दुर्घटना हुई थी, तो इस तरह के अभ्यास को निश्चित रूप से उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन जो कदम उठाया गया वह न केवल पॉलिसी के बाद के मूल्यह्रास पर विचार करने की प्रकृति का था, बल्कि उससे पहले की अवधि को भी इसमें शामिल करने का था। यह प्रक्रिया पार्टियों द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई थी और उनके आकलन के अनुसार जिस दिन पॉलिसी निकाली गई थी, उस दिन एक्सकेवेटर का वास्तविक मूल्य 46,56,600/- रुपये था। इस तरह के समझौते और समझ के सामने, सर्वेक्षक पॉलिसी या अनुबंध की तारीख से पहले की अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना नहीं कर सकता था। उपरोक्त खंड का उद्देश्य उस दिन उचित मूल्यांकन करना था जब कुल क्षति हुआ था। वह बीमाकृत संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए पॉलिसी की तारीख के बाद उस तारीख को उक्त कार्य कर सकता था जब आग

वास्तव में लगी थी। और ऐसे उद्देश्यों के लिए, मूल्यांकन उस दिन "बीमा राशि" के रूप में वर्णित राशि से शुरू होना चाहिए जब अनुबंध दर्ज किया गया था। यह सर्वेक्षक या बीमा कंपनी के लिए खुला नहीं था। कि 'बीमा राशि' के रूप में निर्धारित आंकड़े की उपेक्षा करें। उक्त आंकड़े को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में नुकसान का आकलन किया जाना था।

17. पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, उन मामलों को छोड़कर जहां बीमा कंपनी की ओर से समझौता धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गलत बयानी द्वारा किया गया है या ऐसे मामले जहां उबरमा फाइड का सिद्धांत आकर्षित होता है, पार्टियां बीमा राशि के रूप में एक विशेष आंकड़ा देने की शर्त से बंधी हैं। इसलिए, सर्वेक्षक और बीमा कंपनी द्वारा "बीमा राशि" की राशि पर सवाल उठाना और उसकी उपेक्षा करना किसी भी तरह से उचित नहीं था। आगे मूल्यह्रास, यदि कोई हो, की गणना हमेशा "बीमा राशि" के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। इसलिए, इस मामले में शुरुआती आंकड़ा वह आंकड़ा होना चाहिए जिसे "बीमा राशि" के रूप में निर्धारित किया गया था। चूंकि एक्सकेवेटर, पॉलिसी लेने के बाद ग्यारह महीने तक इस्तेमाल किया गया था, कुछ उचित मूल्यह्रास होना चाहिए जिसे "बीमा राशि" से काटा जाना चाहिए। बीमाधारक द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक 10% की कटौती करने और 41,90,940/- रुपये के आंकड़े पर पहुंचने में सही था। बचाव मूल्य में कटौती के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक के साथ विचार-विमर्श किया गया दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय आयोग द्वारा सही उत्तर दिया गया था और इस तरह किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि राज्य आयोग द्वारा किया गया आकलन बिल्कुल सही था और राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया आकलन पूरी तरह गलत था।

18. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय को रद्द करते हैं और राज्य आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं। कोई देय नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपील स्वीकृत
सत्याभामा कुमारी